भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1155

उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता

†1155. **डॉ. कडियम काव्य:**

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण और अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए समग्र शिक्षा और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत समर्थित डिजिटल लर्निंग पहलों का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेषकर आंध्र प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा योजना के तहत डिजिटल लर्निंग अवसंरचना के लिए सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने हेतु स्वीकृत केंद्रीय सहायता/आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार, राज्य/संघराज्यक्षेत्र-वार और विशेषकर तेलंगाना के वारंगल जिले और आंध्र प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान आज की तिथि तक, सभी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, वर्ष-वार और विशेषकर आंध्र प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के तहत स्वीकृत, पूर्ण किए गए और कार्यान्वयन के अधीन कार्यों जैसे कक्षाओं का निर्माण, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, डिजिटल लर्निंग अवसंरचना, पेयजल, स्वच्छता और अन्य स्कूली अवसंरचना सहित ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ङ.) उक्त अवधि के दौरान वारंगल जिले में इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हुए सरकारी विद्यालयों और छात्रों की संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार और उसके निकायों के प्रशासन के तहत आते हैं। शिक्षा मंत्रालय देश भर के सरकारी स्कूलों, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य भी शामिल हैं, में डिजिटल शिक्षण को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत पीएम ई-विद्या और दीक्षा जैसी आईसीटी और डिजिटल पहलों को लागू करता है। इन पहलों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को

एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत, राज्य द्वारा वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत आवश्यकता के अनुसार आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान की जाती है। सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण और अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य ने 9,319 आईसीटी लैब स्थापित किए हैं **(अनुलग्नक 1)**। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्वीकृत आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षाओं का ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक 2** और **अनुलग्नक 3** के रूप में संलग्न है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में दिनांक 17 मई, 2020 को एक व्यापक पहल पीएम ई-विद्या शुरू की गई थी, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करती है ताकि पूरे देश में शिक्षा तक बहु-पद्धति पहुंच सक्षम हो सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन/प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है। पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटक डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की दिशा में भी संरेखित हैं और इसमें सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं। पीएम ई-विद्या 200 डीटीएच टीवी चैनल पहल के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य को पांच समर्पित चैनल (एपी पीएम ई-विद्या 48-52) आवंटित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश ने शैक्षिक प्रसारण के लिए 636 वीडियो सामग्री प्रदान की है।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) राष्ट्र की एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के साथ-साथ सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोडित एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) उपलब्ध कराता है। दीक्षा में एक प्रतिभागी के रूप में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/एबीएस ने मातृ स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री उत्पन्न और योगदान की है, जिससे बहुभाषावाद को सक्षम किया गया है। कुल मिलाकर, दीक्षा पर छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा 2.29 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए 579.41 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की पहुंच का समर्थन करता है, जिससे शिक्षार्थी सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी सीखना जारी रख सकते हैं। दीक्षा पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5.96 लाख और 3.59 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। आंध्र प्रदेश राज्य ने 361 ऊर्जावान पाठ्यपुस्तकें और 25,000+ ई-सामग्री तैयार की है और उन्हें प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है। हितधारकों के पास डीआईकेएसएचए पर 836 से अधिक वर्चुअल लैब और 100 वर्चुअल स्किल लैब (हिंदी और अंग्रेजी में प्रत्येक 50) तक पहुंच है, जो छात्रों को वास्तविक दुनिया की प्रयोगशाला वातावरण के सिमुलेशन में सहायता करती हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने भारत में शिक्षकों और स्कूल नेतृत्व की व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने, स्कूल शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए एक व्यापक पैमाने पर समग्र कार्यक्रम, निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र उन्नयन के लिए राष्ट्रीय पहल) शुरू किया है। इसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आमने-सामने, ऑनलाइन और मिश्रित प्रशिक्षण मोड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश ने निष्ठा प्रारंभिक, माध्यमिक, एफएलएन और ईसीसीई को ऑनलाइन मोड में लागू किया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा योजना के तहत डिजिटल लर्निंग अवसंरचना (आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम) के लिए वित्तीय अनुमोदन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक 4** के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ वारंगल जिले में कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, डिजिटल लर्निंग अवसंरचना, पेयजल, स्वच्छता और अन्य स्कूल अवसंरचना के निर्माण सहित संस्वीकृत, पूर्ण और कार्यान्वयनाधीन कार्यों का ब्यौरा **अनुलग्नक 5** के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक 1

"समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. कडियम काव्य और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक 1

आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2007 से 2026 के बीच स्थापित आईसीटी प्रयोगशालाओं की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	आईसीटी लैब्स की संख्या
1	अनकापल्ली	5
2	अनंतपुर	797
3	अन्नमय्या	2
4	अस्र	11
5	बापतला	6
6	चित्तूर	902
7	पूर्वी गोदावरी	1062
8	एलुरु	11
9	गुंटूर	682
10	कडपा	553
11	काकीनाडा	9
12	कोनासीमा	6
13	कृष्ण	579
14	कुरनूल	853
15	मन्याम	5
16	नांदयाल	9
17	नेल्लोर	578
18	एनटीआर	15
19	पलांडु	18
20	प्रकाशम	649
21	श्री सत्यसाईं	11
22	श्रीकाकुलम	636
23	तिरुपति	3
24	विशाखापत्तनम	752
25	विजयनगरम	485
26	पश्चिम गोदावरी	680
	कुल योग	**9,319**

"समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. कडियम काव्य और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक 2

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्त वर्ष (2021-22 से 2025-26) के लिए संस्वीकृत आईसीटी लैब्स

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2025-26**	**2024-25**	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16	3	6	8	9
आंध्र प्रदेश	69	562	405	710	445
अरुणाचल प्रदेश	162	92	114	39	29
असम	1414	83	0	645	628
बिहार	1459	627	0	0	0
चंडीगढ़	16	32	1	0	0
छत्तीसगढ	3188	1436	352	0	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10	12	24	25	10
दिल्ली	778	0	0	7	0
गोवा	0	0	3	0	0
गुजरात	67	284	479	0	0
हरियाणा	1097	72	255	113	0
हिमाचल प्रदेश	561	3	12	282	218
जम्मू एवं कश्मीर	534	598	172	203	408
झारखंड	125	286	1447	504	726
कर्नाटक	759	454	0	0	0
केरल	79	1	0	0	0
लद्दाख	13	17	46	16	49
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	3899	889	879	0	0
महाराष्ट्र	921	331	309	0	0
मणिपुर	169	42	52	34	117
मेघालय	79	55	29	28	132
मिजोरम	131	311	217	62	63
नगालैंड	51	22	0	0	0
ओडिशा	1672	95	0	0	0
पुदुचेरी	82	0	0	0	10
पंजाब	3158	125	719	559	72
राजस्थान	2657	998	937	412	525
सिक्किम	0	10	3	0	4
तमिलनाडु	2166	1078	3536	2211	441
तेलंगाना	1242	562	640	94	20
त्रिपुरा	341	91	105	294	59
उत्तर प्रदेश	9367	2353	3669	289	0
उत्तराखंड	215	28	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	160	63	0	125
कुल	**36497**	**11712**	**14474**	**6535**	**4090**

"समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. कडियम काव्य और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक 3

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसार वित्त वर्ष (2021-22 से 2025-26) के लिए संस्वीकृत स्मार्ट कक्षाएं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	1503	659	3147	435	0
अरुणाचल प्रदेश	102	34	102	107	0
असम	665	897	1701	240	0
बिहार	6113	627	1981	126	0
चंडीगढ़	0	1	1	95	0
छत्तीसगढ	332	4582	519	0	2624
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	37	18	53	0
दिल्ली	4577	0	90	45	78
गोवा	63	0	0	0	0
गुजरात	0	521	447	0	1815
हरियाणा	0	211	424	342	1425
हिमाचल प्रदेश	596	14	0	616	0
जम्मू एवं कश्मीर	1001	1703	372	834	0
झारखंड	1140	337	342	121	0
कर्नाटक	2136	95	100	1768	0
केरल	242	23	115	257	0
लद्दाख	33	66	20	8	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	4042	3716	3457	658	0
महाराष्ट्र	2463	42	209	2405	0
मणिपुर	21	36	57	140	0
मेघालय	0	3	0	14	8
मिजोरम	4	11	0	28	0
नगालैंड	0	63	13	47	515
ओडिशा	4121	681	0	2119	384
पुदुचेरी	7	0	0	45	0
पंजाब	53	18	300	664	0
राजस्थान	3834	430	3420	408	3290
सिक्किम	0	27	0	32	4
तमिलनाडु	2683	6284	0	0	0
तेलंगाना	2036	505	697	0	0
त्रिपुरा	261	47	42	563	0
उत्तर प्रदेश	6784	4590	4229	18444	0
उत्तराखंड	307	11	78	195	1529
पश्चिम बंगाल	79	502	0	0	0
कुल	**45247**	**26773**	**21881**	**30809**	**11672**

"समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. कडियम काव्य और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक 4

पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम के लिए वित्तीय अनुमोदन

(रू. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2025-26**	**2024-25**	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	200.8	7.5	17	51.2	57.2
आंध्र प्रदेश	3881.1	4633.4	9744.8	5588	1869
अरुणाचल प्रदेश	831.22	317.67	595.9	378	121.8
असम	8978.1	2344.3	4082.4	4704	4019.2
बिहार	22823.2	3364.3	4754.4	302.4	0
चंडीगढ़	102.4	207.2	6.9	134.4	0
छत्तीसगढ	14349.8	17408.9	2125.6	0	6297.6
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	64	168.8	109.1	310.4	64
दिल्ली	7455.6	0	1350	152.8	85.8
गोवा	151.2	0	13.4	0	0
गुजरात	278.1	2754.8	2646.4	0	4347.4
हरियाणा	5299.3	704.4	1815.61	1544	3650.2
हिमाचल प्रदेश	4290.7	24.3	28.8	3283.2	1395.2
जम्मू एवं कश्मीर	3948.3	5573.9	1330.7	3300.8	1321.9
झारखंड	3100.3	2143.3	7623	3516	4646.4
कर्नाटक	8958	2291	735	4243.2	0
केरल	1057.9	58.5	276	616.8	0
लद्दाख	111.7	190.1	163	112	313.6
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	26810.8	13073.8	12697.5	1579.2	0
महाराष्ट्र	10428.5	1603.3	2632.8	5772	0
मणिपुर	679	199.4	266.8	553.6	735.9
मेघालय	297.4	166.7	102.4	212.8	995.8
मिजोरम	390.6	803.5	566.5	464	203
नगालैंड	127.5	179.8	31.2	112.8	1927.4
ओडिशा	18045.8	1489.2	0	5085.6	921.6
पुदुचेरी	432.4	0	0	108	64
पंजाब	16328.4	766.2	3367.7	5261.2	460.8
राजस्थान	19028.6	4931.1	12228.8	3616	6168
सिक्किम	0	151.6	7.5	76.8	89.6
तमिलनाडु	16742.6	21701.1	10114.6	14150.4	2822.4
तेलंगाना	10898.7	3640.6	3944.2	601.6	128
त्रिपुरा	2448.8	404.7	440.5	3232.8	377.6
उत्तर प्रदेश	59679.2	20827	24826.4	46115.2	0
उत्तराखंड	1754.6	127.2	234	468	6509
पश्चिम बंगाल	189.6	1632.8	755.2	0	800
कुल	**270164**	**113890.4**	**109634**	**115647**	**50392.4**

अनुलग्नक 5

"समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. कडियम काव्य और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के भाग (घ) और (ङ.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष (2021-22 से 2025-26) के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा के तहत कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, डिजिटल शिक्षण अवसंरचना, पेयजल, स्वच्छता और अन्य स्कूल अवसंरचना के निर्माण के लिए मूलभूत अवसंरचना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	घटक	अनुमोदित	पूर्ण	कार्यान्वयन के अधीन
1	अतिरिक्त क्लासरूम	42,319	21,775	20,544
2	बायोलॉजी लैब	11,791	978	10,813
3	बालक शौचालय	41,635	27,968	13,667
4	केमिस्ट्री लैब	11,331	910	10,421
5	सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	20,885	14,025	6,860
6	पीने का पानी	15,494	13,878	1,616
7	बालिका शौचालय	42,057	29,679	12,378
8	लाइब्रेरी रूम	2,910	2,004	906
9	फिजिक्स लैब	11,266	916	10,350
10	साइंस लैब	4,796	3,118	1,678
11	नए और अपग्रेड किए गए स्कूल	1,080	451	629
12	आईसीटी लैब्स	73,308	37,511	35,797
13	स्मार्ट क्लासरूम	1,36,382	82,856	53,526

वारंगल: समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 (5 वर्ष) तक की प्रगति

क्र.सं.	विवरण	अनुमोदित	पूर्ण	कार्यान्वयन के अधीन
1	बालक शौचालय	14	14	0
2	बालिका शौचालय	5	5	0
3	सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	21	15	6
4	बाउंड्री वॉल	3	3	0
5	बिजली	2	2	0
6	फर्नीचर	16	16	0
7	प्रमुख मरम्मत	33	33	0
8	पेयजल	4	4	0
9	विज्ञान प्रयोगशाला	16	12	4
10	कंप्यूटर#	187	187	0
स्त्रोत: प्रबंध		# राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार		